



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्र./अका./2023/ 446

भोपाल, दिनांक 28.04.2023

अधिसूचना

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय अधिनियम 1990 की धारा 15-1 के तहत राज्य सरकार द्वारा तथा अधिनियम के प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकारियों द्वारा विश्वविद्यालय की महापरिषद में किए गए सदस्यों के नामनिर्देशन के अनुक्रम में विश्वविद्यालय की महापरिषद का पुर्नगठन निम्नानुसार किया जाता है :-

अधिनियम की धारा एवं उपबंध	सदस्य का नाम
15 (1) (एक) - मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश	मा. श्री शिवराज सिंह चौहान
15 (1) (दो) - भारसाधक मंत्री, वित्त विभाग, मध्यप्रदेश सरकार	मा. श्री जगदीश देवडा
15 (1) (तीन) - भारसाधक मंत्री, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश सरकार	मा. श्री शिवराज सिंह चौहान
15 (1) (चार) - भारसाधक मंत्री, शिक्षा, मध्यप्रदेश सरकार	मा. डॉ. मोहन यादव
15 (1) (पाँच) - मध्यप्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता	मा. डॉ. गोविंद सिंह
15 (1) (छह) - मध्यप्रदेश राज्य का एक संसद सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा	मा. श्री शंकर ललवानी
15 (1) (सात) - मध्यप्रदेश राज्य का एक राज्यसभा सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा	मा. श्री सुमेर सिंह सोलंकी
15 (1) (आठ) - अध्यक्ष, भारतीय प्रेस परिषद	जस्टिस श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई
15 (1) (नौ) - मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्देशित विभिन्न तीन राज्यों के प्रत्येक का एक संचार प्रतिनिधि	1. प्रो. ओम प्रकाश सिंह, उत्तर प्रदेश 2. डॉ. उमाशंकर पाण्डेय, पश्चिम बंगाल 3. श्री शीरीष काशीकर, गुजरात
15 (1) (दस) - एडीटर्स गिल्ड का एक नाम निर्देशिती जो भारतीय भाषा प्रेस का हो,	श्री उमेश उपाध्याय
15(1)(ग्यारह) - एक ख्यात जनसंचार विशेषज्ञ, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा	श्री प्रफुल्ल केतकर
15 (1)(बारह) - पत्रकारिता का एक ख्यात अध्यापक, जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जायेगा	डॉ. नन्दिनी लक्ष्मीकांता
15 (1) (तेरह) - ख्यातिप्राप्त जनसम्पर्क का विशेषज्ञ या विज्ञापन क्षेत्र का विशेषज्ञ, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा	श्री अजीत भाई शाह
15(1)(चौदह) - प्रमुख सचिव, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश शासन	श्री राघवेंद्र सिंह
15 (1) (पंद्रह) - महानिदेशक, भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन)	डॉ. संजय द्विवेदी
15(1)(सोलह) - मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार का एक नामनिर्देशिती	श्री हरप्रीत सिंह, निदेशक (उच्च शिक्षा)

निरन्तर अगले पृष्ठ पर

म.प्र. शूटिंग अकादमी के सामने, बिशनखेडी, भोपाल (म.प्र.) 462044, फोन (0755) 2553523 फैक्स: (0755) 2551641
Infront of M.P. State Shooting Academy, Bishankhedi, Bhopal, Madhya Pradesh - 462044
Phone- (0755) 2553523 Fax-07552551641, E-mail- mcu.acd.bpl@gmail.com, Website; www.mcu.ac.in

Signature



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

अधिनियम की धारा एवं उपबंध	सदस्य का नाम
15 (1) (सत्रह) - सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से एक विशेषज्ञ जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा	श्री प्रशान्त पोल
15 (1) (सत्रह-क) - विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग का एक आचार्य, जो कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम में नाम निर्देशित किया जायेगा	प्रो. श्रीकांत सिंह, वरिष्ठ आचार्य
15 (1) (अठारह) - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक नाम निर्देशिती	प्रो. बट्टू सत्यनारायण, कुलपति, कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय कदगांची अलंद रोड अलंद तालुक, गुलबर्गा
15 (1) (उन्नीस) - विश्वविद्यालय का कुलपति	प्रो. (डॉ.) के.जी. सुरेश
15 (1) (बीस) - भारतीय भाषा (हिन्दी को छोड़कर) के दैनिक समाचार पत्र के संस्करणों को सम्मिलित कर रजिस्ट्रार न्यूज पेपर ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित सर्वाधिक प्रसार वाले समाचार पत्र में से एक का वरिष्ठ पत्रकार	श्री रविकांती श्रीनिवास, उप समाचार संपादक, ईनाडु हैदराबाद
15 (1) (इक्कीस) - भारत के हिन्दी दैनिक समाचार पत्र के संस्करणों को सम्मिलित कर रजिस्ट्रार न्यूज पेपर ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित सर्वाधिक प्रसार वाले समाचार पत्र में से एक का वरिष्ठ पत्रकार	श्री विष्णुकांत त्रिपाठी
15 (1) (बाईस) - अपर मुख्य सचिव वित्त अथवा उनके द्वारा नामनिर्देशित कोई प्रतिनिधि जो सचिव से निम्न श्रेणी का न हो	पदेन
15 (1) (तेईस) - मध्यप्रदेश के एक हिन्दी दैनिक का संपादक	श्री अतुल तारे
15 (1) (चौबीस) - विश्वविद्यालय का कुलाधिसचिव	रिक्त
15 (1) (पच्चीस) - मनोरंजन संचार क्षेत्र का एक वरिष्ठ विशेषज्ञ जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा	श्री गजेन्द्र सिंह चौहान, कुलपति SUPVA
15 (1) (छब्बीस) - मध्यप्रदेश से संबंधित दो प्रख्यात सार्वजनिक व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे	1. श्री महेश श्रीवास्तव 2. श्री शरद द्विवेदी
15(1) (सत्ताईस) - राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित निम्नलिखित प्रत्येक क्षेत्र से ख्यातिप्राप्त एक विशेषज्ञ (क) टेलीविजन समाचार चैनल से एक प्रतिष्ठित पत्रकार (ख) कम्प्यूटर या सूचना प्रौद्योगिकी का एक ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञ (ग) सोशल मीडिया का एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ (घ) विकास संचार का एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ	1. श्री रजत शर्मा, इंडिया टीवी 2. श्री अजिंक्या कुलकर्णी 3. डॉ. अभिषेक गर्ग 4. श्री के. बद्रीनाथ

निरन्तर अगले पृष्ठ पर

म.प्र. शूटिंग अकादमी के सामने, बिशनखेडी, भोपाल (म.प्र.) 462044, फोन (0755) 2553523 फैक्स: (0755) 2551641
Infront of M.P. State Shooting Academy, Bishankhedi, Bhopal, Madhya Pradesh – 462044
Phone- (0755) 2553523 Fax-07552551641, E-mail- mcu.acd.bpl@gmail.com, Website; www.mcu.ac.in

Asyain



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

15 (1) (अठईस) -	दो विभिन्न राज्यों में प्रत्येक से एक विख्यात हिन्दी मीडियाकर्मी जो मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा	1. श्री सईद अंसारी, आज तक 2. श्रीमती पल्लवी अन्वेकर
15 (1) (उनतीस) -	मध्यप्रदेश के एक विश्वविद्यालय का कुलपति जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा	प्रो. खेम सिंह डहेरिया
15 (1) (तीस) -	मध्यप्रदेश विधान सभा का एक सदस्य, जो विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा	मा. श्री आशीष शर्मा

2. महापरिषद के सदस्यों की पदावधि अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) व (3) के उपबंधों के अध्वधीन रहते हुए चार वर्ष होगा जो अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी।

(प्रो. (डॉ.) अविनाश वाजपेयी)
प्रभारी कुलसचिव

क्र./अका./2023/ 447

भोपाल, दिनांक 28.04.2023

प्रतिलिपि -

1. निज सचिव कुलपति, निज सहायक कुलसचिव को सूचनार्थ।
2. समस्त माननीय सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश शासन को सूचनार्थ।
4. समस्त विभागाध्यक्षगणों/परिसर प्रभारियों को सूचनार्थ।
5. निदेशक, संबद्ध अध्ययन संस्था को सूचनार्थ।
6. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ।
7. परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ।
8. सहायक कुलसचिव (प्रशासन) को सूचनार्थ।
9. आदेश पुस्तिका।

(प्रो. (डॉ.) अविनाश वाजपेयी)
प्रभारी कुलसचिव